



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2018/माघ 20, 1939

No. 74]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018/MAGHA 20, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सा.का.नि. .153 (अ).— केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खण्ड (य घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं दशाएं) नियम, 2016 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं दशाएं) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।
2. मूल नियमों में नियम 4 के उप नियम (2), नियम 12 के उप नियम (4) और नियम 13 के उप नियम (3) में अंक रु. 3,75,000/- के लिए अंक रु. 4,00,000/- प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 30/3/2016-इन्सोल्वेंसी]

जानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों का भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 3, उपखंड (I) द्वारा सा.का.नि. 831(अ) तारीख 29 अगस्त, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th February, 2018

G.S.R.153.(E).— In exercise of the powers conferred in clause (zd) of the sub-section (2) of section 239 read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and Members) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force w.e.f. 01.10.2016.
2. In the principal rules, in sub rule (2) of rule 4, sub rule (4) of rule 12 and sub rule (3) of rule 13 for the figure Rs. 3,75,000/- the figure Rs. 4,00,000/- shall be substituted.

[F.No. 30/3/2016-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 831 (E) dated 29th August, 2016.